झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 2 का संशोधन ।
3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (2001 का 6) में संशोधन करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

(1) इस अधिनियम का नाम "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2005" कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 2 का संशोधन -

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 2(i) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा

"परन्तु यह कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या से अभिप्रेत है अन्य पिछड़े वर्गों की ऐसी जनसंख्या जिसका अभिनिश्चय अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना आँकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो" ।

परन्तु यह भी कि यदि अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना आँकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अभिनिश्चित नहीं की गई हो तब अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के ठीक पूर्ववर्ती जनगणना के आँकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण द्वारा अभिनिश्चित अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के ग्रामवार प्रतिशत को नियत मानकर अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निर्धारित मानी जायेगी ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति -

(1) झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2005 झारखण्ड अध्यादेश (01, 2005) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।